सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—। आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं. : 2024/04 दर्ज दिनांक : 08.01.2024

1. महावीर प्रसाद पुत्र हनुमानाराम जाति कुम्हार निवासी घण्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. हरीराम प्रजापत पुत्र हनुमानाराम जाति कुम्हार निवासी घण्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र प्रेमराज जांगिड जाति जांगिड निवासी घण्टेल तहसील व जिला चूरू हाल बालाजी हार्डवेयर के पीछे, रतनगढिया ताड़ सेन्टर के पास, नया बास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

—अप्रार्थीगण—

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री शिवसिंह शेखावत
अप्रार्थीः— श्री अभिषेक टावरी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी महावीर प्रसाद द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीया के स्वामित्व व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1008/464, ग्राम बास घण्टेल में स्थित है, जहाँ पहुँचने हेतु क[illegible] है. प्रार्थीया ने प्रतिवादी के खाते की भूमि खसरा संख्या 463 में होकर अपने कृ[illegible] रास्ता दिलाये जाने की मांग की थी।
2. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत [illegible] एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] तलब किया गया [illegible] सं. 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अभिषेक टावरी ने वकालतना[illegible] पेश किया। अप्रार्थी संख्[illegible]मिधारी हैं।
3. दौरान—ए—मुकदमा प्रार्थी की ओर से आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया । तदनुसार, पत्रावली में आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:34:04 IST
Reason: SelfAttested

विधिक संशोधन अमल में लाते हुए महावीर प्रसाद व हरीराम प्रजापत को प्रार्थी के रूप में रिकॉर्ड पर लिया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने मुख्य रूप से यह आपत्ति दर्ज की कि प्रार्थीया का खेत चारों ओर से अन्य खेतों से घिरा हुआ नहीं है और उसके पास पूर्व से ही वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। अप्रार्थी का यह भी तर्क रहा कि खसरा संख्या 463 में कभी कोई रास्ता विद्यमान नहीं रहा और नया रास्ता देने से उसकी खातेदारी भूमि दो भागों में विभक्त हो जाएगी, जिससे उसे अपूरणीय क्षति होगी।

5. न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार चूरू द्वारा दिनांक 08.12.2024 को मौका निरीक्षण किया गया. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट (दिनांक 08.12.2025) एवं संलग्न नक्शा–ट्रेस का सूक्ष्म अवलोकन किया गया।

6. प्रार्थी के अधिवकता ने दौराने बहस तर्क दिया कि कृषि यंत्रों के आवागमन हेतु उन्हें एक सुगम और राजकीय रास्ते की आवश्यकता है, जो प्रतिवादी के खेत से होकर ही संभव है। प्रार्थी भूमि के बदले भूमि या नियमानुसार राशि भुगतान करने के लिए तैयार है। सींव के सेढे–सेढे भी रास्ता दिया जाता है तो भी कोई आपति नहीं है।

7. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के प्रावधान केवल 'आत्यांतिक आवश्यकता' की स्थिति में ही लागू होते हैं, न कि प्रार्थी की मात्र 'सुविधा' के लिए। उन्होंने मौका रिपोर्ट के हवाले से तर्क दिया कि प्रार्थी के पास अन्य निजी एवं प्रचलित मार्ग उपलब्ध हैं और प्रतिवादी की भूमि के मध्य से रास्ता निकालना विधिक रूप से अनुचित है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता प्रतिवादी की निजी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 463 के बिल्कुल मध्य से प्रस्तावित है। यदि यह रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो प्रतिवादी का सुव्यवस्थित खेत दो भागों में विभक्त हो जावेगा, जिससे कृषि प्रबंधन पूर्णतः छिन्न–भिन्न हो जाएगी। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि धारा 251(ए) का मुख्य सिद्धांत प्रतिवादी को 'न्यूनतम क्षति' पहुँचाना है, जबकि यहाँ प्रतिवादी को 'अपूर्णीय क्षति' हो रही है। इसके अतिरिक्त, प्रार्थीया के पास अपने खेत तक पहुँचने हेतु खसरा संख्या 492 बास घण्टेल से अन्य वैकल्पिक एवं प्रचलित मार्ग उपलब्ध हैं, अतः प्रतिवादी की कीमती कृषि भूमि को दो टुकड़ों में बांटकर नया रास्ता दिया जाना विधिक रूप से न्यायसंगत नहीं है।

8. न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध जवाब, बहस और तहसीलदार की मौका रिपोर्ट का गहराई से परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रतिवादी के जवाब से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के पास अपने खेत खसरा संख्या 1008 / 464 तक पहुँचने हेतु खसरा संख्या 492 रोही ग्राम बास घण्टेल वैकल्पिक एवं प्रचलित मार्ग उपलब्ध हैं। धारा 251(ए) के तहत नया रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब प्रार्थी कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हो।

9. धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का उद्देश्य केवल उस स्थिति में रास्ता उपलब्ध कराना है जब खातेदार की भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य उचित एवं व्यवहारिक मार्ग उपलब्ध न हो। यह [illegible] अधिक सुविधाजनक या आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद रास्ता प्रदान करने के लिए [illegible] है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि [illegible] कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। केवल अधिक सुविधाजनक [illegible] संपर्क प्राप्त करने की इच्छा धारा 251–A के अंतर्गत रास्ता प्रदान करने का पर्याप्त आध[illegible] नहीं हो सकती। यह भी विधि का स्थापित सिद्धांत है कि धारा 251–A के अंतर्गत रास्ता प्रदान करते समय न्यूनतम हानि के सिद्धांत को ध्यान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:34:04 IST
Reason: SelfAttested

रखा जाना चाहिए, तथा बिना आवश्यक कारण किसी अन्य खातेदार की भूमि में नया रास्ता कायम करना उचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी अनिवार्यता सिद्ध नहीं हुई है।

10. उपरोक्त विस्तृत विधिक विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल की जाए।

उक्त निर्णय आज 11.05.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:34:04 IST
Reason: SelfAttested